

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राधि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री राधेश्याम धानक, राजनीति विज्ञान राउमावि माकड़ी, नीम का थाना, सीकर का स्थानांतरण राउगावि अमररार, वीदासर घूरु किया गया। श्री राधेश्याम धानक ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3198/2019 श्री राधेश्याम धानक बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।


अपील संख्या 3198/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री राधेश्याम धानक को प्रत्यर्था विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री राधेश्याम धानक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पत्नी का हृदय रोग से पीड़ित होने, माताजी की मृत्यु सन 2010 में होने तथा पिताजी के 84 वर्ष होने व स्थानान्तरण स्थान 200 किमी की दूरी तथा परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन कोटड़ा (नीम का थाना) सीकर, डूंगा की नांगल (पाटन) सीकर, थोई, सीकर एवं हाथीदेह, श्रीमाधोपुर, सीकर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त हैं। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 07.11.2019 को कार्यग्रहण कर चुका है अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 22/11/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.।
8. गार्ड पंजिका।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर